(15)

।। श्री ।।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, इन्दौर केम्प

श्री मुकेश ... अभि. द्वारा 22-11-17

निगरानी प्रकरण क्रमांक /पी.बी.आर./17

PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/4656

1 श्रीमती प्रेमलता पति सदाशिव सोनी

निवासी–अन्नपूर्णा रोड, अहिल्या नगर ,बस स्टाप के पिछे

इन्दौर ,म.प्र.

2 श्रीमती सुलोचना पति अरविन्द उज्जैनकर

निवासी–3/5 सरकारी परिसर नम्बर 2, शिव मन्दिर के पास

भोपाल ,म.प्र.

3 श्रीमती चन्दा पति राजा

निवासी–दुर्गा चौक ,तलैया, पुलिस चौकी के पास ,

भोपाल म.प्र.

4 श्रीमती रंजना पति सुभाष सोनी

निवासी–कस्बा बगैरिया, सिहोर म.प्र.

5 श्रीमती गोरी पति केतन

निवासी–भालपुर , गुजरात

.. निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1 चेयरमेन लायंस चेरिटेबल सोसायटी मनावर

तर्फे अध्यक्ष आर.डी. गुप्ता पिता स्व. बलराम गुप्ता

निवासी धार रोड मनावर

2 आर.डी. गुप्ता पिता बलराम जी गुप्ता

निवासी–धार रोड

3 श्री राजु पिता नाथुलाल सोनी

4 श्री सुनील पिता नाथुलाल सोनी

5 मोहन पिता नाथुलाल सोनी

निवासी– धानमण्डी, मनावर ,तहसील मनावर

जिला धार म. प्र.

...... प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता के तहत

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 595/अपील/2016–17 मे अंतरिम आदेश दिनांक 16/10/17 से व्यथित होकर प्रस्तुत कि जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (प्रेमलता / चेयरमेन)

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / धार / भू.रा. / 17 / 4656 जिला धार

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.12.2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्को विचार किया गया। अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 595 / अपील / 2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में 9 दिवस के विलम्ब को क्षमा किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि प्रकरण का निराकरण तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं कर गुणदोष किया जाना चाहिये । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	